रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2001/आषाढ़ 22, 1923

No. 360] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2001/ASADHA 22, 1923

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2001

सा. का. नि. 527 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पासपोर्ट नियमावली, 1980 का और संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः —

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2001 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 के नियम 12 में उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम होंगे नामत :—

"(5) इसके जारी किये जाने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए एक परिचय प्रमाण पत्र लागू रहेगा।"

[फाईल सं-VIII/405/26/99]

एस. आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी:- प्रधान नियमों को 11 दिसम्बर, 1980 (1980 विदेश)के सा. का. नि. 657 (अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-III, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया, जिसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:—

1. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 50 (अ) दिनांक 07-02-1980
2. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 469 (अ) दिनांक 24-06-1982
3. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 325 (अ) दिनांक 12-04-1983
4. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 494 (अ) दिनांक 16-06-1983
5. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 345 (अ) दिनांक 29-03-1985
6. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 860 (अ) दिनांक 01-11-1985
7. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1155 (अ) दिनांक 21-11-1988
8. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 100 (अ) दिनांक 04-03-1991
9. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 503 (अ) दिनांक 10-07-1993
10. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 622 (अ) दिनांक 27-06-1990

Attested

Controller of Publications
Govt. of India

11. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 505 (अ) दिनांक 05-10-1998
12. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 516 (अ) दिनांक 08-07-1999
13. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 827 (अ) दिनांक 29-12-1999
14. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 34 (अ) दिनांक 12-01-2000
15. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 472 (अ) दिनांक 22-05-2000
16. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 473 (अ) दिनांक 22-05-2000
17. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 485 (अ) दिनांक 23-05-2000
18. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 529 (अ) दिनांक 08-06-2000
19. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 584 (अ) दिनांक 04-07-2000
20. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 632 (अ) दिनांक 25-07-2000

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2001

G. S. R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2001.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980, in Rule 12, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

 " (5) A certificate of identity shall continue in force for a period of ten years from the date of its issue."

[File No. VIII/405/26/99]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note:— Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. GSR 657(E) dated December 11,1980 (1980 External) Part II, Section 3, Sub-section (i), subsequently amended by:—

1. Notification No.GSR 50 (E) dated 7-02-1980
2. Notification No.GSR 469 (E) dated 24-06-1982
3. Notification No.GSR 325 (E) dated 12-04-1983
4. Notification No.GSR 494 (E) dated 16-06-1983
5. Notification No.GSR 345 (E) dated 29-03-1985
6. Notification No.GSR 860 (E) dated 01-11-1985
7. Notification No.GSR 1155 (E) dated 21-11-1988
8. Notification No.GSR 100 (E) dated 04-03-1991
9. Notification No.GSR 503 (E) dated 10-07-1993
10. Notification No.GSR 622 (E) dated 27-06-1990
11. Notification No.GSR 605 (E) dated 05-10-1998
12. Notification No.GSR 516 (E) dated 08-07-1999
13. Notification No.GSR 827 (E) dated 29-12-1999
14. Notification No.GSR 34 (E) dated 12-01-2000
15. Notification No.GSR 472 (E) dated 22-05-2000
16. Notification No.GSR 473 (E) dated 22-05-2000
17. Notification No.GSR 485 (E) dated 23-05-2000
18. Notification No.GSR 529 (E) dated 08-06-2000
19. Notification No.GSR 584 (E) dated 04-07-2000
20. Notification No.GSR 632 (E) dated 25-07-2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Controller of Publications